(वाद सं0.-943/4/30/2021)

04.01.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, राजदेव पाण्डेय द्वारा बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के पटोरी इलाके के गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले छोटे–छोटे बच्चों को स्थानीय दलालों द्वारा राजस्थान के जयपुर एवं अन्य राज्यों में भेजकर बाल मजदूरी करने के लिए विवश करने एवं हिन्दु धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने हेतु तरह–तरह से प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर** के प्रतिवेदन साथ अनुलग्नित **अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटोरी** के प्रतिवेदनानुसार **" जांच के क्रम में 1. अब्दुल रउफ, पे0–स्व0 अब्दुल गफ्फर, 2. मुकेश दास, पे0–धर्मदेव दास, 3. मो0 जमला, पे0–स्व0 गुलाम रसुल, 4. नागेन्द्र राय, पे0–स्व0 अनुपलाल राय, 5. नवलदास, पे0–विश्वनाथ राय, सभी सा0–भौआ, थाना–पटोरी, जिला–समस्तीपुर के बयान बारी–बारी से लिया गया। उपर्युक्त सभी लोगों द्वारा अपने–अपने बयान में बतलाया गया है कि 1. राजु कुमार राम, पे0–कुशेश्वर राम, 2. मो0 कादिर, पे0– मो0 जमाल, 3. मो0 तालिम, पे0– मो0 जलील, 4. मो0 ताहिर, पे0–मो0 जलील, 5. मो0 हासिम, पे0–मो0 हलील, सभी सा0–भौआ, थाना–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, 6. मो0 फूलो, सा0–बरूणा रसलपुर , सभी चुड़ी उद्योग में जयपुर में काम करते है। वर्तमान में ये सभी जयपुर मे काम करते है। आगे बतलाये कि उपर्युक्त सभी लोग विवाहित एवं बालिग युवकों को उसके सहमति से एवं अभिभावकों की सहमति से मजदूरी हेतु जयपुर ले जाते है। प्राप्त आवदेन मे आवेदन का गांव का उल्लेख नहीं है और न ही उनका मोबाईल नम्बर अंकित है। इस वजह से आवेदक से सम्पर्क नहीं हो सका है। पटोरी थानान्तर्गत कुल 17 पंचायत है। अतएव बिना गांव के नाम का आवेदक का पता लगाया जाना संभव नहीं है। जांच के दौरान आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है।"**

अब जबकि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में अपने पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर का उल्लेख नहीं किया है तो एसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में अग्रेतर कोई कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**अतः उक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक